




बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार
पत्रांक— 109 कटिहार/दिनांक— 23/01/2024
अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या— 02/2023-24

1. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- 23.01.2024
2. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :- 01.02.2024 से 05.02.2024 3:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि :- 06.02.2024 3:00 बजे अपराह्न तक।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- 06.02.2024 3:30 बजे अपराह्न।
6. प्राईस बीड खोलने की तिथि :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।
7. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :- (क) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।
(ख) अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार।
(ग) मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग, कटिहार।
8. निविदा प्राप्ति का स्थान :- क्रमांक 7 में वर्णित स्थानों पर।
9. कार्य का विवरण :-

क्र०. सं०.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	कार्य समाप्ति की तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, लाभा अन्तर्गत निरीक्षण भवन का मरम्मत एवं सम्पोषण कार्य।	467109.00	9400.00	750.00	28.02.2024	केवल कटिहार जिला के स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-04 में निबंधित निविदादाताओं के लिए

10. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम अर्हता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिणाम विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।


कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार
मोबाईल नं०-7463889238

नियम एवं शर्तें

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2% एवं 100 के गुणक में होगा।
 2. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधी जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभुति जो कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किये जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जायेगी।
 3. संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक या अधिसूचित बैंक से ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के पदनाम से निर्गत हो एवं S.B.I. कटिहार में भुगतये हो को ही स्वीकार किये जाएंगे।
 4. निविदा दो मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक 01 से 02 जिसमें क्रमशः प्री-क्वालिफिकेशन बीड तथा प्राइस बीड रहेगा। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील कर समर्पित करना होगा। निविदा प्राप्त करने /खोलने की तिथि को क्रमांक -7 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में प्री-क्वालिफिकेशन वाले लिफाफे को ही खोला जाएगा। प्री-क्वालिफिकेशन बीड में सफल निविदाकारों का दूसरा लिफाफा (प्राइस बीड) सक्षम पदाधिकारी द्वारा खोला जायेगा। असफल निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (वित्तीय बीड/प्राइस बीड) जस का तस संबंधित निविदादाताओं को लौटा दिया जाएगा।
 5. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-13589(s), पटना दिनांक 13.12.11 के कंडिका(4) के उपकंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 25,00,000/- (पचीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
 6. निविदादाताओं को प्री-क्वालिफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित एवं अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - (क) निविदाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।
 - (ख) निर्गत परिणाम विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में समर्पित करना अनिवार्य है।
 - (ग) निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा।

"I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction up to the FIR and lawful punishment as well as black listing."
 - (घ) आरक्षित कोटि के निविदाता को एक अलग शपथ-पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में आरक्षण के प्रावधान के आधार पर अबतक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की सूचना देना अनिवार्य होगा।
 - (ङ) सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- प्री-क्वालिफिकेशन बीड में सफलता का निर्धारण पत्रांक-528 दिनांक 13.06.2013 के अनुरूप ऊपर तीनों कागजातों के साथ-साथ कुल आवंटित कार्यों की सूचना शपथ-पत्र के रूप में जाति प्रमाण-पत्र (अभिप्रमाणित) के आधार पर होगा।
7. संवेदक को लिफाफे के ऊपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं0 यथा संभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके।
 8. निविदा दर हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 915, दिनांक 24.12.2022 का अनुपालन किया जायेगा।
 9. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
 10. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिये मान्य होगी।
 11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
 12. सफल निविदादाता को जन कार्य प्रपत्र एफ-2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
 13. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है अथवा पूर्व में आवंटित कार्य की प्रगति अगर संतोषप्रद नहीं है तो ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।
 14. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौति की जाएगी।
 15. कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायेगी। इस कार्य में कोई समय वृद्धि मान्य नहीं है यदि कोई अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने या प्राप्ति की तिथि को बिहार सरकार द्वारा अवकाश घोषित हो जाये तो निविदा को खोलने या प्राप्ति का कार्य अगले कार्यकारी दिवस पर की जायेगी।
 16. विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019 के आलोक में फार्म-'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 प्रतिशत फ्लेट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता/कार्य संवेदक के विपत्र से काटी जाएगी।
 17. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचना पट पर देखें।



18. संवेदक को किये गये कार्य का भुगतान तभी होगा जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
19. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग के संहिता के अनुरूप लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।
20. एकरारनामा के समय G.S.T. No. एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।

23/01/24
कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार
मोबाइल नं०- 7463889238

पत्रांक.....109..... कटिहार/दिनांक.....23/01/2024.....
प्रतिलिपि:- जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

23/01/24
कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार
मोबाइल नं०- 7463889238